विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2018/ 4545 दिनांक :5/2/18

प्रति,

प्राचार्य,
डॉ.आर.डी.एम.एस.कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन
नीमथूर,भानपुरा,जिला–मंदसौर।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक/02,दिनांक 27.07.2017,

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/संबद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 16.12.2017 को किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.12.2017. में प्रस्तुत किया गया, जिसमें "निर्णय लिया गया कि,स्व.डॉ.आर.डी.एम.एस.कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन,भानपुरा,जिला–मंदसौर में सत्र 2016–17 एवं 2017–18 में बी.एड.पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालय को सत्र 2016–17 में बी.एड.पाठ्यक्रम की कार्योत्तर सम्बद्धता–निरंतरता एवं 2017–18 में बी.एड. पाठ्यक्रम की सम्बद्धता–निरंतरता निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति दो माह में पूर्ण करने की शर्त पर प्रदान की जाती है।"

उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के आधार पर को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016–17 एवं 2017–18 से शर्तो के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितांत अस्थाई संबद्धता–निरंतरता प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.एड.	100

शर्ते :–01. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 29.12..2017 में लिये गये निर्णय का पालन करना सुनिश्चित करें।
02. परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत प्राचार्य एवं शिक्षकोंएवं क्रिडा अधिकार/पुस्तकालयाध्यक्ष का चयन कराया जाये।
03. पाठ्यक्रम हेतु नवीन पुस्तकें एवं पत्रिकाऐं क्रय की जाये।
04. खेल के मैदान को विकसित किया जाये।
05. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 05 नवीन कम्प्यूटर क्रय किये जा कर संस्थापित किये जाये।
06. प्रथम तल की टीन शेड छत को स्थायी छत में परिवर्तित किया जाये।
07. प्रयोगशाला का उन्न्यन किया जाये।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करें,अन्यथा सम्बद्धता पर पुनः विचार किया जावेगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02